संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021टी0सी0

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 19 मार्च 2021**

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के वि0स0क्षेत्रों में चयनित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-4942/मु0प0सं0यो0(33)/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना में पर्यटन विभाग से वित्त पोषण की सीमा अधिकतम रू0-50.00 लाख होने के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजनान्तर्गत **विभिन्न जनपदों के वि0स0क्षेत्रों में चयनित पर्यटन स्थलों के विकास हेतु** नामित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा तैयार किये गये आगणन के सापेक्ष निम्नवत् प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रस्तर-2 (1) से 2(19) पर अंकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	जनपद का नाम	विधान सभा क्षेत्र	परियोजना का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय स्वीकृति (रूपये लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृति (रूपये लाख में)
01	मथुरा	मांट	बैरूबाबा मंदिर/लक्ष्मी जी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	48.65	24.32
02	कानपुर नगर	सीसामऊ	बलखण्डेश्वर मन्दिर पी रोड का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	48.48	24.24
03		बिल्हौर	खरेश्वर मंदिर शिवराजपुर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	48.01	24.00
04		घाटमपुर	रविदास आश्रम नगर पालिका स्टेशन रोड के सामने घाटमपुर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	45.32	22.66
05		किदवई नगर	मां बारादेवी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	49.37	24.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

06	कानपुर नगर	बिठूर	वि0ख0 विधनु की ग्राम पंचायत कठरा में स्थित कठरा धाम (बांके बिहारी) मंदिर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	48.54	24.27
07		कल्याणपुर	जागेश्वर मंदिर प्रांगण में अखाड़ा परिसर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	47.47	23.73
08	सोनभद्र	दुद्धी	ल्उवा पहाड़ी पर सीढ़ी का निर्माण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	50.00	25.00
09	हरदोई	हरदोई	श्री श्रवण देवी मंदिर साण्डी रोड हरदोई का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	46.71	23.65
10	कुशीनगर	तमकुहीराज	ग्राम सभा-गौरी श्री राम वि0ख0-दुदही तहसील-तमकुहीराज में श्री राम चौराहे पर स्थित हनुमान मन्दिर व शिव स्थल का पर्यटन विकास	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.23	24.11
11		रामकोला	कुलकुला धाम स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.56	24.28
12	प्रयागराज	प्रतापपुर	जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड- फूलपुर की ग्राम सभा लिलहट में स्थित तालाबा का सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	45.14	22.57
13	बाराबंकी	बाराबंकी	शैलानी माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	47.45	23.72
14	जौनपुर	मछलीशहर	ब्लाक-मडियाहूँ में स्थित हजोसी हनुमान मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	43.86	22.57
15		शाहगंज	वि0ख0-सुईथाकला तहसील-शाहगंज में बुढ़ियामाई स्थल का पर्यटन विकास कार्य	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.32	24.66
16		मल्हनी	वि0ख0-बक्शा ग्राम-मई में राउरबाबा मंदिर एवं तालाब का सुदरीकरण।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	50.00	25.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	लखनऊ,	मोहनलाल गंज	विधान सभा मोहनलालगंज स्थित राकशबीर बाब मंदिर का पर्यटन विकास।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	46.16	23.00
18	मेरठ	मेरठ शहर	मां चण्डी देवी मंदिर नौचन्दी परिसर का पर्यटन विकास कार्य।	यू0पी0सिडको	50.00	25.00
19	श्रावस्ती	भिनगा	विभूतिनाथ मंदिर का सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	45.96	22.98
20	मऊ	मधुवन	मधुवन दिव्य ज्योति जटाधारी शिव मंदिर स्थल शिव पांती मधुवन मऊ का पर्यटन विकास।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.89	24.44
21		घोसी	अति प्राचीन हनुमान मंदिर एवं पोखरे तथा परिसर का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	46.64	23.32
22		मोहम्मदाबाद	ग्राम-देवल ब्लाक-मोहम्मदाबाद स्थित देवल बाब स्थल (सूर्यकुण्ड)	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	49.84	24.92
23	बहराइच	मटेरा	कपूरे बाबा मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	46.43	23.21
24	उन्नाव	पुरवा	श्री हनुमान मंदिर कांथा वि0ख0 असोहा का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	47.51	23.75
25	हाथरस	सादाबाद	श्री भद्रकाली मंदिर सहपऊ हाथरस का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	44.28	22.14
26	सुलतानुपर	इसौली	इसौली किले का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	46.46	23.23
27	सहारनपुर	बेहट	शाकुम्भरी देवी मंदिर का पर्यटन विकास।	यू0पी0सिडको	42.56	21.28
28		सहारनपुर देहात	अम्बेडकर पार्क कैलाशुपुर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य।	यू0पी0सिडको	22.69	11.35

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

29	सहारनपुर	सहारनपुर नगर	फुलवारी आश्रमए बाबा लाल दास शिव पार्वती मंदिर का सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास।	यू0पी0सिडको	42.37	21.18
30	मैनपुरी	किशनी	खप्पर वाले बाबा सेवा आश्रम शिवसिंहपुर मंछना लपूरी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	48.37	24.18
31		करहल	ग्राम-विधूना स्थित मारकण्डेय ऋषि की तपोभूमि का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.07	24.53
32	रामपुर	चमरौआ	प्राचीन शिव मंदिर भमरब्बा का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	36.90	18.45
33	बागपत	छपरौली	ग्राम नांगल में सांई धाम मंदिर का सौन्दर्यीकरण कार्य।	यू0पी0सिडको	46.72	23.26
34	कन्नौज	कन्नौज	याज्ञवल्क्य ऋषि आश्रम जोगेश्वर धाम अलीपुर जलेसर वि0ख0-गुरगुर का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	48.51	24.25
35	फिरोजाबाद	सिरसागंज	जनपद फिरोजाबाद स्थित रूपाणी देवी माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	46.51	23.25
36	अम्बेडकर नगर	कटेहरी	श्रवण क्षेत्र का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	47.45	23.72
37		जलालपुर	ग्राम भुजगी में भुजंगनाथ धाम का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	48.88	24.44
38		अकबरपुर	शिव बाबा सिमई का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	47.53	23.76
39	अमेठी	गौरीगंज	दण्डेश्वर महादेव ब्लाक-मुसाफिर खाना का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	46.39	23.19

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

40	महाराज गंज	नौतनवां	नौतनवां सोनौली में स्थित रामजानकी मंदिर स्थल का सुदृढ़ीकरण।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.53	24.75
41	बदायूं	बिसौली	प्राचीन शिव मंदिर वि0खं0-वजीरगंज ग्राम पेपल का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	49.92	24.96
42		बिल्सी	कछला गंगा घाट का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	50.00	25.00
43		बदायूं शहर	पौराणिक स्थल राजावेन वि0खं0-सालारपुर बिनावर का पर्यअन विकास	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	50.00	25.00
44		दातागंज	प्राचीन देवी मंदिर नेता झुकसा एवं ब्रहमदेव महाराज मंदिर पापड कस्बा का पर्यटन विकास	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	50.00	25.00
45		शेखूपुर	प्राचीन ककोरा देवी मंदिर ग्राम ककोरा कुम्भ मेला स्थल का पर्यटन विकास	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	50.00	25.00
46	मुरादाबाद	कांठ	प्रक्टेश्वर शिव मंदिर ढांकी का पर्यटन विकास	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	50.00	25.00
47		मुरादाबाद नगर	श्री गुरू जम्भेश्वर विश्नोई मंदिर लोधीपुर धाम का पर्यटन विकास	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	50.00	25.00
48	गौतमबुद्ध नगर	जेवर	द्रोणाचार्य मंदिर दनकौर का सौन्दर्यीकरण	यू0पी0सिडको	50.00	25.00
49		दादरी	ग्राम बिसाहडा के कीर्तन भवन स्थल का विकास	यू0पी0सिडको	50.00	25.00
50		नोएडा	श्री सिद्धपीठ शनि मंदिर सेक्टर-14 एए नोएडा का विकास	यू0पी0सिडको	50.00	25.00

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

51	संतकबीर नगर	खलीलाबाद	वि0स0क्षे0 खलीलाबाद में स्थित ग्रामसभा विषयाहन्नू / विसरापार में पौराणिक तालाब का सौन्दर्यीकरण	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	49.90	24.95
52	आगरा	बाह	बटेश्वर धाम में प्रवेश द्वार एवं सैण्ड स्टोन पेविंग का कार्य	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.32	24.66
53		आगरा उत्तर	पालीवाल पार्क का पर्यटन विकास	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	49.42	24.71
54		आगरा कैण्ट	महौर समाज मंदिर एवं शिव मंदिर पी0एण्ड टी0 कालोनी मंदिर का पर्यटन विकास	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	42.12	21.06
55	सीतापुर	सिधौली	महाकवि नरोत्तम दास की जन्मस्थली ग्राम बाड़ीए वि0ख0-सिधौली का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	48.90	24.45
56		महमूदाबाद	बनेहरा बीरबल दरगाह वि0ख0 पहला का पर्यटन विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0	49.41	24.70
57	प्रतापगढ	कुण्डा	हौदेश्वरनाथ शिव मंदिर का पर्यटन विकास।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	48.29	24.15
58		बाबागंज	कुलदेवी मंदिर डेरवा प्रतापगढ़ का समेकित पर्यटन विकास।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	48.09	24.00
59		रामपुर खास	बाबा घुइसरनाथ धाम का पर्यटन विकास।	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	49.99	24.99
60	आजमगढ	अतरौलिया	वि0ख0-अतरौलिया ग्राम मकराहा स्थित तप्सी बाबा आश्रम स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	49.39	24.69
61		गोपालपुर	ग्राम सभा-शिवपुरी देवारा में स्थित बुढ़ऊ बाबा स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्डडी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	49.43	24.21

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

62	आजमगढ	सगडी	ग्राम-बहौली में स्थित प्राचीन शिव मंदिर (बाबा पातालनाथ) का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	49.05	24.52
63		आजमगढ	ग्राम-टांडी में स्थित परम ज्योति मां स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.71	24.35
64		निजामाबाद	वि0ख0-निजामाबाद में स्थित गुरूद्वारा स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.98	24.49
65		दीदारगंज	वि0ख0-मार्टिनगंज ग्राम-चितारा में स्थित शिव मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	49.68	24.84
66		लालगंज	वि0ख0-पल्हनाग्राम-लहुआखुर्द में स्थित मां परमेश्वरी धाम स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	45.87	22.93
67		मेहनगर	वि0ख0-मेहनगर ग्राम-गौरा में स्थित महामण्डलेश्वर शिव स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.81	24.40
68	मऊ	मऊ	ग्राम सभा उमापुर बजीरपट्टी में स्थित बाबा विश्वनाथ पुरी धाम स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम	48.49	24.24
69	हमीरपुर	हमीरपुर	रामजानकी मंदिर खण्डेह भौदहा का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	50.00	25.00
70		राठ	संकट मोचन हनुमान मंदिर राठ का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	50.00	25.00
71	बांदा	तिन्दवारी	सतीमाता मंदिर ग्राम जारी का पर्यटन विकास कार्य।	उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	48.21	24.10

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

72	**सम्भल**	**चन्दौसी**	**सादातबाड़ी सिद्ध धीमरबाड़ी प्राचीन शिव मंदिर बहजोई का पर्यटन विकास कार्य।**	**उ0प्र0 आवास विकास परिषद**	**48.75**	**24.37**
73		**गुन्नौर**	**ग्राम हिरौनी में प्राचीन शिव मंदरि का पर्यटन विकास एवं ग्राम न्योरा ब्लाक राजपुरा समाधि बाबा की मणि का पर्यटन विकास कार्य।**	**उ0प्र0 आवास विकास परिषद**	**46.23**	**23.11**
74		**असमौली**	**ग्राम मुजाहिदपुर में श्री कैलादेवी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।**	**उ0प्र0 आवास विकास परिषद**	**49.23**	**24.61**

(1) मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के क्रियान्वयन विषयक शासनादेश सं0-46/2020/388/41-2020-01 संवर्धन(नीति)/2019 दिनांक 03 फरवरी 2020 के प्राविधान के अनुसार योजना की सीमा धनराशि रू0-50.00 लाख से अधिक होने पर धनराशि रू0-50.00 लाख से ऊपर के कार्य विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 अथवा संबंधित विभागों के बजट से कराये जायेंगे । संबंधित जिलाधिकारी विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों को विधायक निधि संबंधी नियमावली एवं अन्य लागू प्राविधानों के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परियोजना में यथासंभव अधिकतम वित्त पोषण विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 से प्राप्त हो।

(2) संबंधित लागत की परियोजनाओं में की अवशेष धनराशि लागत प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 ,शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे। कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की गुणवत्ता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जायेगी, जिसका पर्यवेक्षण महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**V II**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृति/पुनरावृति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(15) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक गुणवत्ता एवं अनुरक्षण की व्यवस्था आदि की पूर्ण जिम्मेदारी महानिदेशक, पर्यटन एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(18) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता तथा नियमानुसार किया जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया जाता है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में प्रदान की जा रही वित्तीय स्वीकृति की धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-558/दस-2021 दिनांक मार्च 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-256/2021/963/41-2021-39(बजट)/2021 टी0सी0 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी प्रतापगढ।
6- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (यूपीआरएनएसएस), लखनऊ।
9- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम,लखनऊ।
10- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि० ,लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0सिडको ,लखनऊ।

12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ,उ0प्र0 शासन।

13- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, लखनऊ /कानपुर/ विन्ध्याचल/गोरखपुर/प्रयागराज/ अयोध्या/ वाराणसी/मेरठ/बरेली/मुरादाबाद/सहारनपुर/आगरा/आजमगढ/बस्ती/झांसी ।

14- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग ।

15- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।